2024/590

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी डीडवाना मुकाम डीडवाना

मंजु देवी w/o स्व० खेमाराम बनाम हन्नाराम पुत्र किशनाराम

किस्त मुकदमा राजस्व वाद 88, 188 RTAC सं. 371/ सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/24	दकीत प्रार्थी ने [illegible] 88, 188 RTAC का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAC का जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादगण जरिए सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 11/12/24 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
	11/12/24 पत्रावली पेश हुई। बार सघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है। पत्रावली दिनांक 13/1/25 को पेश हो। [illegible]	H.T. प्रतिवादी सं. 2 हिरालाल किशोरी [illegible] 11.12.24
	9/1/2025 वादीगण के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है प्रतिवादी के मध्य समझौता हो जाने से वह दावा को चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए दावा जरिए डिक्री खारिज फरमाये। आवेदन पर सुनवाई व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण अपने वाद को चलाना नहीं चाहते हैं, अतः हस्ब रजामंदी वादीगण हस्तगत वाद जरिए डिक्री खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	अशोक चौधरी मन्जु Identified by [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati

Date: 2026.04.08 11:16:11 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner